<u>न्यायालय सिविल जज (सी.डि.),उन्नाव।</u>

प्रकीर्ण वाद संख्या–07/2019
विदेश कुमारी.....बनाम.....जायदाद स्व.अभिमन्यु कुमार
<u>दि.9.03.2019</u>

पत्रावली आज लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थिनी/वादिनी श्रीमती विदेश कुमारी की ओर से प्रार्थना–7ग इस आशय से प्रस्तुत किया गया है प्रार्थिनी ने एक उत्तराधिकार वाद श्रीमान जी के समक्ष अपने पति स्व.अभिमन्यु कुमार के खातें मे जमा धनराशि के बाबत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु दाखिल किया था जिसमें श्रीमान जी द्वारा दिनांक 12.01.2018 को आदेश पारित किया जा चुका है परन्तु उक्त आदेश मे लिपिकीय त्रुटि के कारण मृतक अभिमन्यु के स्थान पर गिरजा शंकर तथा सम्पूर्ण धनराशि का 1/5 अंश श्रीमती विदेश कुमारी के पक्ष मे निर्गत किये जाने के बाबत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया था जिसे दुरूस्त किये जाने के बाबत उक्त प्रार्थना–पत्र व प्रार्थना–पत्र 3क मय शपथ–पत्र 4ग दिया गया था।

उक्त प्रार्थना–पत्रों पर सुना गया तथा मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल प्रकीर्ण वाद संख्या–02/2017 श्रीमती विदेश कुमारी बनाम ज0.स्व.अभिमन्यु कुमार मे तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक 12.01.2018 को आदेश पारित किया गया था।

संबंधित प्रकरण मे विपक्षी संख्या–2श्रीमती राजरानी की ओर से अनापत्ति शपथ–पत्र कागज संख्या–9ग व विपक्षी संख्या–3 अमित कुमार तथा विपक्षी संख्या–4 सुमित कुमार के मुख्तारआम श्री अमित कुमार की ओर से अनापत्ति शपथ–पत्र कागज संख्या–10ग तथा विपक्षी संख्या–5 श्रीमजी सपना की ओर से अनापत्ति शपथ–पत्र कागज संख्या–8ग दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण मे मृतक अभिमन्यु कुमार के नाम जमा सम्पूर्ण धनराशि मु.7,18,363/रूपये बाबत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने मे उन्हे कोई आपत्ति नही है।

अतः मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के द्वारा उक्त वाद मे पारित आदेश दिनांकित 12.01.2018 रिकाल करते हुए वादिनी/प्रार्थिनी श्रीमती विदेश कुमारी पत्नी स्व.अभिमन्यु कुमार के पक्ष मे सम्पूर्ण धनराशि मु.7,18,363/रूपये के बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवश्यक न्याय शुल्क एवं स्टाम्प पेपर

दाखिल करने पर इस शर्त के साथ बनाया जाय, कि वह उपरोक्त धनराशि के सम्बन्ध में व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करेगी, यदि आवेदिका द्वारा अपने वाद मे किन्ही तथ्यों को छिपाया गया है और भविष्य मे किसी के द्वारा क्लेम किया जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व आवेदिका पर होगा।

सिविल जज सी0डि0, उन्नाव।